न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला-अजमेर

प्रकरण संख्या 01/2022

...रकार जरिए   बनाम   श्री गोपाल, नारायण पि० पॉन्चू रेगर

... हल्का मायला

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 18-01-2022

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का मायला द्वारा सम्वत 2078 ग्राम मायला की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 676 कुल रकबा 0.3074 है० किस्म भूमि गै. मु. रास्ता में से रकबा 0.0809 हैं भूमि पर अप्रार्थी श्री गोपाल, नारायण पुत्र पॉन्चू जाति रेगर निवासी मायला द्वारा नाजायज जौ, चना काश्त कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 18-01-2022 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी नें नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नही हैं।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है। अतः अप्रार्थी गोपाल, नारायण पुत्र पॉन्चू जाति रेगर निवासी मायला को सरकारी भूमि ग्राम मायला के खसरा नम्बर 676 कुल रकबा 0.3074 है० किस्म जमीन गै. मु. रास्ता में से रकबा 0.0809 है० भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.30 का पचास गुणा 50/- रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यावाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Singh Lakhawat
Date: 2022.12.21 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

18/01/22
तहसीलदार मसूदा
जिला अजमेर